



वित्त मंत्रालय

भारत सरकार की फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी सरकारी स्टॉक की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

Posted On: 03 APR 2017 6:59PM by PIB Delhi

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 3000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के भारत सरकार की फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2014 की बिक्री के लिए (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 7,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '6.79 फीसदी ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029' (iii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '6.57 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2033' (iv) मूल्य आधारित नीलामी के जरिये 3,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए '6.62 फीसदी ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2051' की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। एकाधिक मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए नीलामियों का संचालन किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुम्बई कार्यालय 7 अप्रैल 2017 (शुक्रवार) को यह नीलामियां करेगा।

स्टॉक बिक्री की कुल अधिसूचित राशि के पांच फीसदी तक का आवंटन सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के मुताबिक योग्य व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जायेगा।

नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 7 अप्रैल 2017 (शुक्रवार) को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रातः 10.30 बजे से लेकर प्रातः 11.30 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रातः 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।

इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 7 अप्रैल 2017 (शुक्रवार) को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 10 अप्रैल 2017 (सोमवार) को किया जायेगा।

ये स्टॉक 16 नवंबर, 2006 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्र सं.आरबीआई/2006-07/178 के अनुसार केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में "जब जारी लेनदेन" विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार "जब जारी" ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।

वीके/पीकेपी-920

(Release ID: 1486583) Visitor Counter : 14

